न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –अमीलाल यादव आर.ए.एस.)

वाद सं.:– 01 / 50A जीसीएमएस सं.:–2023 / 251 दर्ज तिथि:– 09.05.2023

1. लेखराज पुत्र बिहारीलाल
2. रमेशचन्द पुत्र बिहारीलाल
3. सुरजमल पुत्र बिहारीलाल
4. राजेश पुत्र बिहारीलाल
5. मीरा पुत्री बिहारीलाल
6. चमेली पुत्री बिहारीलाल
7. बादामी पत्नी बिहारीलाल
8. रतनलाल पुत्र साधुराम

समस्त जाति कुम्हार निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी

.................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय जिला अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार भू–स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ता–श्री गोपीराम शर्मा।
प्रतिवादीगण– पेरोकार सरकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णय:–

दिनांक 01.10.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क व नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खसरा संख्या 486 / 0.76 है0 वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में अवस्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 402 / 5 / 03 बीघा से बना हुआ

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज० थानागाजी (अलवर)

है। जैसा मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजी वादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता व पति बिहारीलाल को आवंटित की गई थी और मौके पर उस समय विवादित आराजी पर दखल दिया गया था। उक्त विवादित आराजी का तितम्बा भी दखलनामा पर्चा में अंकित कर काट दिया गया था। मौके पर दखलनामा के अनुसार वादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता व पति बिहारीलाल को कब्जा मौके पर उसी समय करा दिया गया उक्त आवंटित आराजी के 1/2 हिस्सा वादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता व पति ने जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र वादी संख्या 08 को दे दी जो राजस्व रिकॉर्ड में अमल में आ चुका है। वादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता व पति बिहारीलाल की मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त खातेदार है। उक्त आराजी पर अन्य किसी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है।

2. उक्त विवादित आराजी पर वक्त आवंटन ही वादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता को मौके पर तरफ दक्षिण में कुछ रकबा छोड़कर उसके उत्तर में दखल दिया गया था और उसी समय दखलनामा में नक्शा में तितम्बा अंकित कर दिया गया था। उसी समय दखलनामा में नक्शा में तितम्बा अंकित कर दिया गया था जो नक्शा तितम्बा मौका कब्जा अनुसार सही अंकित किया गया था। परन्तु हाल नक्शे पर तितम्बा तरफ उत्तर की ओर काट दिया गया है। उक्त इन्द्राज कतई गलत है। अन्त में वादीगण ने हाल नक्शा में गलत इन्द्राज को कलमजन कर मुताबिक दखलनामा व मौका कब्जा अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा असालतन–वकालतन उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी तथा तितम्बा दुरूस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को आवंटन के समय मौके पर दखल देकर राजस्व नक्शे में तितम्बा उचित प्रकार से अंकित किया गया था। वादी को आवंटन के समय मौके पर दखल देकर राजस्व नक्शे में तितम्बा अंकन हाल राजस्व नक्शे में तितम्बा से सटीक मिलान करता है। वादी केवल विपरीत कब्जे के आधार पर तितम्बा दुरूस्ती करवाना चाहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के आधार पर विपरीत कब्जे के आधार पर स्वामित्व/खातेदारी अधिकार नहीं मिलने के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर भी वादी को उक्त आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। साथ ही माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा छोटू बनाम छीतर व गोपाल बनाम श्रावणी अपील में दिनांक 12.11.2013 को दिये गये निर्णय तथा सरजू राव बनाम अमृत लाल प्रकरण संख्या–2002/5176 अपील में दिनांक 30.08.2018 को दिये गये निर्णय में विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिलने का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं। अतः दावा वादी काबिले खारिज है। अतः वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण दावा वादी भारी खर्चे पर खारिज फरमाये जाने का निवेदन है।

4. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर निम्न तनकीयात कायम किये गये:–

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

तनकीयात

1. *आया वादी खातेदारी आराजी का हाल राजस्व नक्शे में मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी तथा हाल कब्जा अनुसार तितम्मा दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।*

.....वादी

2. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी तथा हाल कब्जा अनुसार खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है।*

.....

वादी

3. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर वैध आवंटी नहीं होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–63 के तहत विपरीत कब्जे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होने तथा बन्दोबस्त विभाग/राजस्व कार्मिकों द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने व मौका अनुसार तितम्मा कायत किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88, 89 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त नहीं करने के आधार के कारण दावा वादी काबिज–ए–खारिज है।*

.....प्रतिवादी

4. *अन्य दादरसी।*

.....उभयपक्षकारान

5. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गये:–

1. नकल जमाबन्दी संवत 2076 वाके ग्राम दुहारमाला (प्रदर्श–01)
2. रजिस्टर्ड नोटिस 80 (2) सीपीसी (प्रदर्श–02)
3. नकल आवंटन आदेश (प्रदर्श–03)
4. नकल दखलनामा मय तितम्मा दिनांक 15.04.1994 (प्रदर्श–04)
5. नकल पट्टा दिनांक 03.09.1975 आवंटी बिहारी पुत्र साधूराम (प्रदर्श–05)
6. नक्शा पर्चा (प्रदर्श–06)
7. नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075 वाके ग्राम दुहारमाला (प्रदर्श–07)
8. नकल नक्शा पर्चा संवत 1961 (प्रदर्श–08)
9. डाक रसीद नोटिस सरकार (प्रदर्श–09)
10. न्कल नक्शा संवत 2060 (प्रदर्श–10)
11. नकल जमाबन्दी संवत 2032 खाता संख्या 194 वाके ग्राम दुहारमाला
12. नकल इंतकाल संख्या 69 गैर खातेदारी
13. नकल मिलान क्षेत्रफल 2060 खसरा संख्या 486 वाके ग्राम दुहारमाला

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

वादी ने अपने दावे के समर्थन में बयान गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त बयान गवाह साक्ष्य स्वीकार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गयेः–

1. रतन पुत्र साधूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 (पी. डब्ल्यू.–01)
2. रमेश पुत्र रामेश्वरदयाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 (पी. डब्ल्यू.–02)

7. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल नक्शा में गलत इन्द्राज को कलमजन कर मुताबिक दखलनामा व मौका कब्जा अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी ने निवेदन किया कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी तथा तितम्बा दुरूस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को आवंटन के समय मौके पर दखल देकर राजस्व नक्शे में तितम्बा उचित प्रकार से अंकित किया गया था। वादी को आवंटन के समय मौके पर दखल देकर राजस्व नक्शे में तितम्बा अंकन हाल राजस्व नक्शे में तितम्बा से सटीक मिलान करता है। वादी केवल विपरीत कब्जे के आधार पर तितम्बा दुरूस्ती करवाना चाहता है। अतः वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण दावा वादी भारी खर्चे पर खारिज फरमाये जाने का निवेदन है।

8. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तनकीवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार हैः–

आया वादी खातेदारी आराजी का हाल राजस्व नक्शे में मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी तथा हाल कब्जा अनुसार तितम्मा दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

पत्रावली पर प्रथम तनकी में वादी द्वारा निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी पर वक्त आवंटन ही वादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता को मौके पर तरफ दक्षिण में कुछ रकबा छोडकर उसके उत्तर में दखल दिया गया था और उसी समय दखलनामा में नक्शा में तितम्बा अंकित कर दिया गया था। उसी समय दखलनामा में नक्शा में तितम्बा अंकित कर दिया गया था जो नक्शा तितम्बा मौका कब्जा अनुसार सही अंकित किया गया था। परन्तु हाल नक्शे पर तितम्बा तरफ उत्तर की ओर काट दिया गया है। उक्त इन्द्राज कतई गलत है। अन्त में वादीगण ने हाल नक्शा में गलत इन्द्राज को कलमजन कर मुताबिक दखलनामा व मौका कब्जा अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव गवाहान के साक्ष्य के आधार पर प्रथम तनकी को वादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

9. प्रकरण में तनकी संख्या 02 जो कि निम्न प्रकार हैः–

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी तथा हाल कब्जा अनुसार खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

पत्रावली पर द्वितीय तनकी में वादी द्वारा निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी पर वक्त आवंटन ही वादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता को मौके पर तरफ दक्षिण में कुछ रकबा छोडकर उसके उत्तर में दखल दिया गया था और उसी समय दखलनामा में नक्शा में तितम्बा अंकित कर दिया गया था। उसी समय दखलनामा में नक्शा में तितम्बा अंकित कर दिया गया था जो नक्शा तितम्बा मौका कब्जा अनुसार सही अंकित किया गया था। परन्तु हाल नक्शे पर तितम्बा तरफ उत्तर की ओर काट दिया गया है। उक्त इन्द्राज कतई गलत है। अन्त में वादीगण ने हाल नक्शा में गलत इन्द्राज को कलमजन कर मुताविक दखलनामा व मौका कब्जा अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एव गवाहान के साक्ष्य के आधार पर उक्त तनकी को वादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

10. प्रकरण में तनकी संख्या 03 जो कि निम्न प्रकार है:–

आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर वैध आवंटी नहीं होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–63 के तहत विपरीत कब्जे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होने तथा बन्दोबस्त विभाग/राजस्व कार्मिकों द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने व मौका अनुसार तितम्मा कायत किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88, 89 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त नहीं करने के आधार के कारण दावा वादी काबिज–ए–खारिज है।

पत्रावली पर तनकी संख्या 03 में प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया कि मुतनाजा आराजी पर वैध आवंटी नहीं होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–63 के तहत विपरीत कब्जे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होने तथा बन्दोबस्त विभाग/राजस्व कार्मिकों द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने व मौका अनुसार तितम्मा कायत किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88, 89 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त नहीं करने के आधार के कारण दावा वादी काबिज–ए–खारिज है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में पृथक से कोई दस्तावेजात् पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो तितम्मा काटा गया है वो मुताबिक दखलनामा सही काटा गया है। उक्त तितम्मा काटने के दौरान नियमों का पूर्णतरूपेण पालन किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

11. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना में दिनांक 06.07.2024 को भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर भिजवायी गई। रिपोर्ट के बिन्दु निम्न प्रकार है:–

1. हाल खसरा संख्या 486/0.76 का मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के मुताबिक साबिक खसरा संख्या 402/5/3 बीघा से बना है जो दखलनामा अनुसार साविक खसरा संख्या 402/5 का तितम्मा साबिक खसरा संख्या 402 के दक्षिण में हाल खसरा संख्या 497 के पश्चिम में सटाकर बनाया गया था जबकि हाल नक्शे में खसरा संख्या 486 साबिक खसरा संख्या 402 के मध्य बन्दोबस्त विभाग द्वारा सही अंकन नहीं किया।
2. हाल खसरा संख्या 486/0.76 है0 के साबिक खसरा संख्या 402/5/3 बीघा के तितम्मा पर वादी का कब्जा नहीं है।
3. वादी मौके पर साबिक खसरा संख्या 402/5 का दखलनामा अनुसार हाल खसरा संख्या 496 ग्राम दुहामाला पर आंशिक तथा ग्राम दुहार चौगन के आंशिक रकबे पर काबिज है। दोनों ग्रामों की भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
4. वादी की खातेदारी आराजी के तिममे पर अन्य खातेदारों का आंशिक कब्जा काश्त है।
5. उक्त आराजी के सम्बन्ध में मजमेआम में मौका जाँच रिपोर्ट तैयार की गई है।

12. प्रकरण में वाद–पत्र वादी, जवाब, अभिलेखीय साक्ष्य, गवाहान के बयानात एवं उक्त विवेचन के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वादी मुताबिक दखलनामा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में तितम्मा दुरूस्त कराने के अधिकारी है तथा मुतनाजा आराजी पर मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी तथा हाल कब्जा अनुसार खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष न्यायोचित प्रतीत होते है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकराहक्क व नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वादी के वाद पत्र, दस्तावेजात, साक्ष्य एवं बयानात गवाहान एवं तहसीलदार थानागाजी की मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर वादीगण को खसरा संख्या 486/0.76 है0 वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान का हाल राजस्व नक्शे में मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी तितम्मा दुरूस्त करवाने का एवं मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी खातेदारी अधिकार घोषित करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा संख्या 486/0.76 है0 वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शे को कलमजन कर मुताबिक दखलनामा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में तितम्मा दुरूस्त किया जावें। शेष राजस्व इन्द्राज बदस्तूर जारी रहे।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज दिनांक 01.10.2024 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(अमीलाल यादव आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) रा०

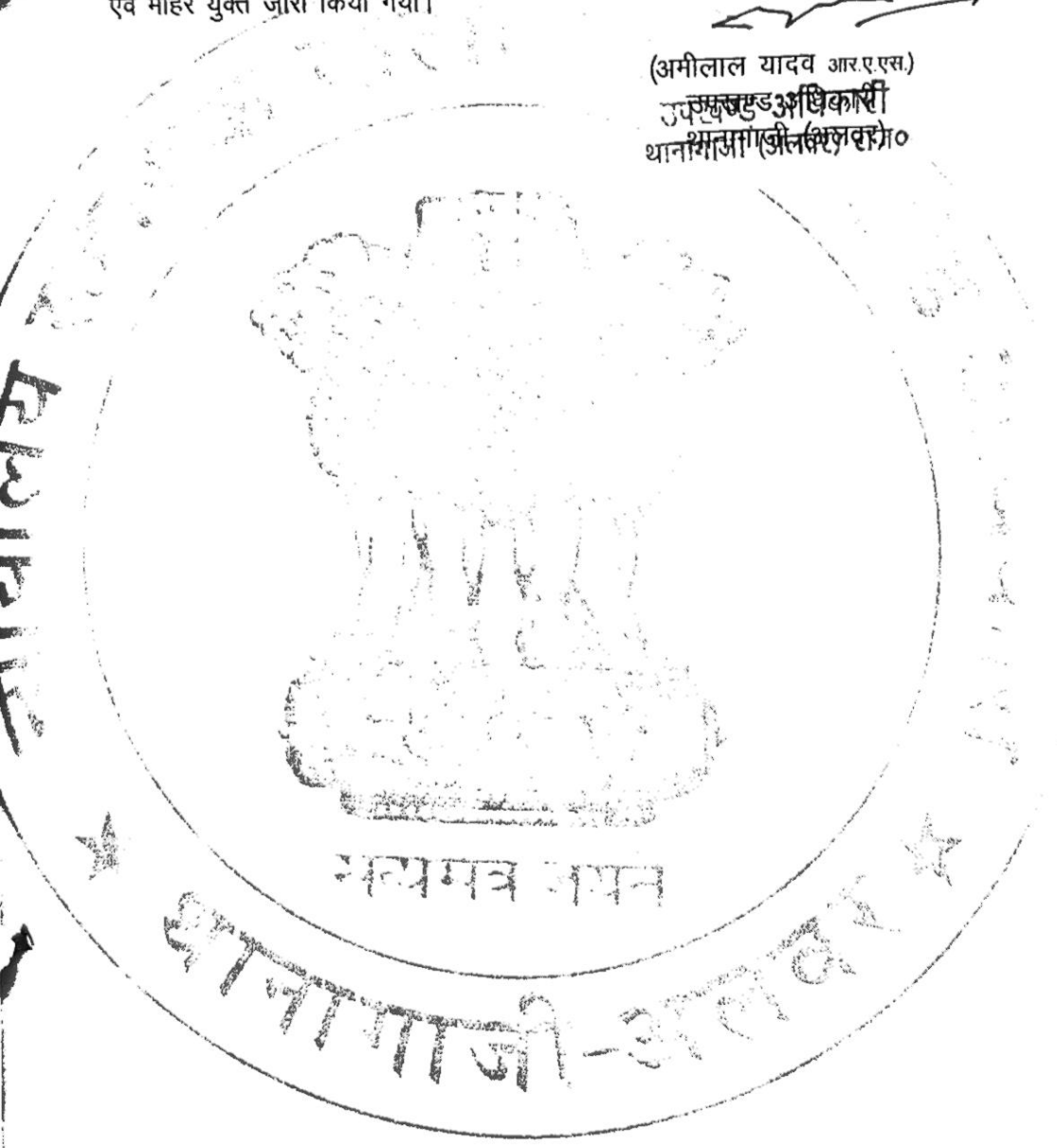

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –अमीलाल यादव आर.ए.एस.)

वाद सं.:– 01/50A जीसीएमएस सं.:–2023/251 दर्ज तिथि:– 09.05.2023

1. लेखराज पुत्र बिहारीलाल
2. रमेशचन्द पुत्र बिहारीलाल
3. सुरजमल पुत्र बिहारीलाल
4. राजेश पुत्र बिहारीलाल
5. मीरा पुत्री बिहारीलाल
6. चमेली पुत्री बिहारीलाल
7. बादामी पत्नी बिहारीलाल
8. रतनलाल पुत्र साधुराम

समस्त जाति कुम्हार निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय जिला अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार भू–स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ता–श्री गोपीराम शर्मा।
प्रतिवादीगण– पेरोकार सरकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

वादी का दावा बाबत इस्तकराहक्क व नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वादी के वाद पत्र, दस्तावेजात, साक्ष्य एवं बयानात गवाहान एवं तहसीलदार थानागाजी की मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर वादीगण को खसरा संख्या 486/0.76 है0 वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला

8

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

अलवर राजस्थान का हाल राजस्व नक्शे में मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी तितम्मा दुरूस्त करवाने का एवं मुताबिक आवंटन पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी खातेदारी अधिकार घोषित करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा संख्या 486/0. 76 है0 वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शे को कलमजन कर मुताबिक दखलनामा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में तितम्मा दुरूस्त किया जावें। शेष राजस्व इन्द्राज बदस्तूर जारी रहे।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(अमीलाल यादव आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०